न्यायालयअपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः— 09 / अ—59 / 2017—18 / 11662 बैतूल दिनांक 30 / 10 / 2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 18 रा. नि. मं. घोड़ाडोंगरी तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा तहसीलदार घोड़ाडोंगरी के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम बांसपुर तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 478 रकबा 0.401 हेक्टेयर भूमि मद घॉस शासकीय दर्ज हैं। उक्त भूमि में से 58X 20=1160 वर्गमीटर पर रमेश व. सुंदरलाल जाति लोहार निवासी बांसपुर द्वारा आवासीय पक्का मकान बनाकर लगभग 15 वर्षो से निवासरत् है। उक्त शासकीय भूमि मद घास की भूमि खसरा नंबर 478 में से 0.030 हे. भूमि को परिवर्तित किए जाने हेतु ग्राम सभा ग्राम पंचायत बांसपुर द्वारा दिनांक 25.4.2017 को प्रस्ताव पारित किया गया हैं। इसी प्रकार ग्राम बांसपुर तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 537 रकबा 0.437 हे. भूमि मद घांस में दर्ज हैं। जिस पर अशोक व. बिसनू द्वारा 30X38=1140 वर्गमीटर पर आवासीय अर्द्ध पक्का मकान बनाकर लगभग 25 वर्षो से निवासरत् हैं। उक्त शासकीय भूमि मद घास की भूमि खसरा नंबर 537 में से रकबा 0.200 हे. भूमि को परिवर्तित किए जाने हेतु ग्राम सभा ग्राम पंचायत बांसपुर द्वारा दिनांक 25.4.2017 को प्रस्ताव पारित किया गया है।

2— हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा मद परिवर्तन के लिए विधिवत् प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः—

(1)— मौजा बांसपुर, तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 478 रकबा 0.401 हेक्टेयर में से 0.030 हे. तथा खसरा नंबर 537 रकबा 0.437 हे. में से 0.200 हे. भूमि नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)— दिनांक 25—4—2017 को ग्राम बांसपुर में आयोजित ग्राम सभा में, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर मौजा बांसपुर स्थित खसरा नंबर 478 में से रकबा 0.030 तथा खसरा नंबर 537 में से रकबा 0.200 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)— वर्तमान राजस्व अभिलेख खसरा के अनुसार मौजा बांसपुर स्थित खसरा नंबर 478 रकबा 0.401 तथा खसरा नंबर 537 रकबा 0.437 हेक्टेयर चरनोई मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968—69 के अनुसार खसरा नंबर घॉस मद में दर्ज है।

(4)— ग्राम बांसपुर का मकबूजा रकबा 506.333 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 42.. 161 हेक्टैयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से चरनोई का रक्षित रकबा 10.125 हेक्टेयर उपलब्ध रहना अनिवार्य है। किन्तु वर्तमान में ग्राम में चरनोई का रकबा 42.161 हेक्टेयर उपलब्ध है। प्रस्तावित भूमि का मद परिवर्तन किए जाने के उपरांत भी ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा न्यूनतम आरक्षित रकबे से कम नहीं होगा।

(5)— तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा मौजा बांसपुर स्थित खसरा नंबर 478 रकबा 0.401 हेक्टेयर मद घास चरनोई में से 0.030 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 537 रकबा 0.437 हेक्टेयर मद घास में से 0.200 हेक्टेयर को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3— मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (3) के अनुसार चारागाह, घॉस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की गई भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यपदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4— अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा बांसपुर, तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित चरनोई मद की भूमि खसरा नंबर 478 रकबा 0.401 हेक्टेयर में से 0.030 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 537 रकबा 0.437 हेक्टेयर में से 0.200 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास स्वीकृत किया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल

पृ0क0:– 09 /अ–59/2017–18/ 11662 बैतूल दिनांक 30/10/2017

प्रतिलिपिः–

1— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर।
2— तहसीलदार घोड़ाडोंगरी ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
4— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
5— सचिव ग्राम पंचायत बांसपुर जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

31/10/2017